न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

अपील संख्या 125/2024 तारीख रजू 02.12.2024

नेहन्या, मड्डू पुत्रान मोहरपाल निवासी खिरनी, तहसील मलारना डूंगर । --- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार मलारना चौड, तहसील मलारना डूंगर। --- रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति –

श्री जयप्रकाश सैनी एडवोकेट – अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक** 08.08.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा मिसल संख्या 178/2024 मे पारित आदेश दिनांक 25.09.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को मौजा खिरनी के आराजी खसरा नम्बर 3063, 3065, 3066 रकबा 0.65 हैक्टेयर किस्म सिवायचक/चरागाह पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का फैसला विधि के विरूद्व एवं पत्रावली के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी का निवास आराजी ख0नं0 3063, 3065, 3066 रकबा 0.65 है0 किस्म बारानी 2 वाके ग्राम खिरनी उप तहसील मलारना चौड में स्थित है और उक्त भूमि पर अपीलार्थी 35–40 वर्षों से घर बनाकर रिहायशी कर रहे हैं एवं अपने परिवारजनों का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का लगभग 35–40 वर्षों से लगातार कब्जा होने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण संख्या 1 नायब तहसीलदार मलारना चौड अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये और बिना सुने ही दिनांक 25.09.2024 को निर्णय पारित कर दिया जो विधि के विपरीत है। अपीलार्थीगण भूमिहीन है जो कि उक्त भूमि का उपयोग रिहायश के लिये कर रहे है जिस पर अपीलार्थीयों द्वारा कोई काश्त नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थीगण ने पूर्व में भी कई बार अप्रार्थीगण के यहां उक्त भूमि की खातेदारी घोषित करने एवं उक्त भूमि का आवंटन करने हेतु कई बार आवेदन पेश किया लेकिन अपीलार्थीयों के आवेदन पर किसी प्रकार का आचार–विचार कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आराजी ख0नं0 3063, 3065, 3066 पर बने आवासों को सरकारी योजनाओं के लाभ मिल रहे है व बिजली पानी के कनेक्शन लगे हुये है। समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत तरीके से 91 की कार्यवाही कर अपीलार्थी का कब्जा हटाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:49:07 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

चाहते है जो गलत है। राजस्थान सरकार द्वारा बनायी गयी पॉलिसी दिनांक 27.12.2021 के अनुसार जो परिवार कम से कम 35 वर्षों से घर बना कर रह रहें हैं उनके आवास को नियमित करने की राय दी गई है। अपीलार्थीगण के पास उक्त भूमि के अलावा रिहाईश का कोई साधन नहीं है एवं बेदखल की स्थिति में अपीलार्थीगण के पास अपने व अपने परिवारजन के आवास के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। भूमि आराजी ख0नं0 3063, 3065, 3066 किस्म भूमि बारानी 2 को अपीलार्थीगण के कब्जे में से बेदखल करने हेतु किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करें और भविष्य में जब भी भूमि के आवंटन हेतु राजकीय केम्प लगे तो अपीलार्थीगण के पक्ष में उक्त भूमि का आवंटन किये जाने हेतु निर्देशित करें। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2024 को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर प्राप्त तामीलकर्ता के हस्ताक्षर अपीलार्थी के हस्ताक्षर से बिलकुल भिन्न है जिससे यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी की प्रोपर तामील हुई हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुने ही विचाराधीन निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है। अपीलार्थी द्वारा पेश की गई अपील में अपीलार्थी का उक्त विवादित आराजी ख0नं0 3063, 3065, 3066 पर विगत 35–40 वर्षों से घर बनाकर रिहाईश करने का कथन किया है तथा कथन के पक्ष में वर्ष 1995 का मतदाता परिचयपत्र की प्रति पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अतिक्रमण किया होना अंकित किया है अतिक्रमण किस प्रकार का है यह नहीं अंकित किया है जबकि पटवारी रिपोर्ट में विवादित भूमि ख0नं0 3063,3065,3066 रकबा 0.65 है0 पर जिन्स बाजरा करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी दर्शाया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं रिपोर्ट पटवारी में विरोधाभास है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार फरमायी जाती है तथा नायब तहसीलदार मलारना चौड का निर्णय दिनांक 25.09.2024 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली नायब तहसीलदार मलारना चौड को प्रतिप्रेषित (Remand) कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी की प्रोपर तामील करवाकर, अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आवश्यक रूप से अन्दर एक माह निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:49:07 IST
Reason: SelfAttested